न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 21/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सरवण सिंह पुत्र करनैल सिंह जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर		1. गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र कृपाल सिंह जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर 2. जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

--निर्णय-- तारीख रजू:- 04.05.2016

उपस्थितः 1. श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री योगेश बंसल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2

दिनांक: 04/01/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2035 के खाता संख्या 16/60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 24 की 1 बीघा नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला न. 22 की 5 बिस्वा नहरी, किला न. 23 व 24 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 25 की 18 बिस्वा नहरी एंव मुरब्बा नम्बर 48 के किला न. 11 व 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 13/1 की 10 बिस्वा, किला न. 16 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम एंव मुरब्बा नम्बर 74/20 की 2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला अर्थात कुल 16 बीघा 13 बिस्वा नहरी एंव 2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला भुमि बतौर खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 19 की 5 बिस्वा, किला नम्बर 20 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम जरिए पंजीकृत विलेख दिनांक 04.05.1981 को अप्रार्थीगण संख्या 1 गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह को बेचान कर दी। इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 48 के किला न. 11 व 12 प्रत्येक सालम-सालम किला न. 13 के 10 बिस्वा , किला न. 16, 17, 18 प्रत्येक सालम-सालम एंव किला न.18 की 15 बिस्वा कुल 6 बीघा 5 बिस्वा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22.04.1981 अप्रार्थी संख्या 2 जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह को विक्रय कर दी। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 की भूमि बेचान कर देने के उपरान्त प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 45 के किला न. 24 की 1 बीघा नहरी, मुरब्बा नम्बर 47 के किला न. 22 की 5 बिस्वा नहरी, किला न. 23 व 24 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 25 की 18 बिस्वा नहरी एंव मुरब्बा नम्बर 74/20 की 2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला भूमि कुल 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि शेष रही। उक्त भूमि का बैयनामाजात अनुसार नामान्तरण संख्या 114/60 दिनांक 09.01.1993 को दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण के पश्चात [illegible] की बनने वाली उतरोतर जमाबन्दीयों में इसी अनुसार बतौर खातेदारी दर्ज होती [illegible] सम्वत 2056 के पश्चात चक 2 ओ की उक्त रकबा के बाबत बनने वाली [illegible] 2060 को बनाते समय तत्कालीन पटवारी ने रकबा को हिस्सा से हैक्टर में परिवर्तित करते समय समस्त रकबा गलत दर्ज कर दिया । इसमें प्रार्थी का 4 बीघा 5 बिस्वा रकबा [illegible]75 हैक्टर बनता है। जबकि उसके नाम 1.139 हैक्टर दर्ज कर दिया । इसकी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के 6 बीघा 5 बिस्वा- 6 बीघा 5 बिस्वा का रकबा 1.581 हैक्टर- 1.581 हैक्टर बनता है। जबकि

04/01/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:19 IST
Reason: SelfAttested

सरवण सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 21/2016

पटवारी ने इनका भी हिस्सा बढाकर 1.644-1.645 हैक्टर दर्ज कर दिया गया और कुल 15 बिस्वा रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया। जिसके कारण खाता का कुल योग मिलान नही होता । खाता का योग 4.238 हैक्टर है। जबकि पटवारी द्वारा इस जमाबन्दी में दर्ज रकबा का योग 4.428 हैक्टर है। इस प्रकार इस रकबा के बाबत निर्मित जमाबन्दी सम्वत 2060 खाता संख्या 16/18 त्रुटिपूर्ण है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त 1.075 हैक्टर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 47 के किला न. 24 की 0.253 हैक्टर, किला न. 25 की 0.143 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 74/20 की 0.012 हैक्टर भूमि जीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह को एंव मुरब्बा नम्बर 47 के किला न. 22 की 0.063 हैक्टर, किला नम्बर 23 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 25 की 0.085 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 74/20 की 0.013 हैक्टर गैरमुमकिन खाला मुखत्यार सिंह पुत्र रतन सिंह को बेचान कर दिया तथा इस विक्रय उपरान्त प्रार्थी के नाम इस रकबा में से केवल मुरबा नं0 45 के किला नं0 24 की 0.253 है0 रकबा ही शेष रहा खरीदार जीत सिंह व मुखत्यार सिंह द्वारा अपना रकबा जरिए विभाजन डिक्री दिनांक 31.08.1981 के द्वारा खाता अलग करवा लिया गया। जिसका नामांतरण ग्राम पंचायत द्वारा 21.08.2006 को स्वीकृत किया गया। उक्त रकबा खाता संख्या 16/18 संवंत 2060 के कुल योग 4.238 हेक्टर में से कम होकर केवल 3.416 हैक्टर शेष रह गया। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक 1.581 हैक्टर तथा प्रार्थी का 0.253 हैक्टर रकबा शेष दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन राजस्व पटवारी द्वारा त्रुटिपुर्ण प्रार्थी का उसका हिस्सा पुरी तरह से हटा दिया गया। पूर्व में खाता संख्या 16/18 सम्वत 2060 में त्रुटिपूर्ण रूप से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पांच पांच बिसवा बढे हिस्से दर्ज किये गये व [illegible] खाता संख्या 16/16 सम्वत 2064 तथा 2067 में गुरदेव उर्फ भोला सिंह पुत्र कृपाल सिंह 1.582 हैक्टर जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला 1.581 है0 व सरवण सिंह पुत्र करनेल सिंह .253 है0 दर्ज करने के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से गुरदेव उर्फ भोला सिंह पुत्र कृपाल सिंह 1.644 हैक्टर, जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह उर्फ भोला 1.645 है0 दर्ज किया गया। जिसे पुनः दुरस्त कर प्रार्थी के नाम 0.253 हैक्टर व गुरदेव सिंह के नाम 1.582 हैक्टर व जलन्धर सिंह के नाम 1.581 हैक्टर एवं खाता का कुल योग 3.416 हैक्टर संशोधित किया जाना योग्य है। प्रार्थी को राजस्व अभिलेख त्रुटियों का ज्ञान होने पर प्रार्थी राजस्व पटवारी के पास शुद्धि पत्र भरकर इसे संशोधित करने हेतु अनुरोध किया। लेकिन राजस्व पटवारी के द्वारा आजकल कहकर साफ मना कर दिया गया। प्रार्थी चक 2 ओ के मुरब्बा न0 45 के किला न0 24 के खातेदार मालिक है तथा यह रकबा अपने नाम बतौर खातेदार घोषित करवाकर राजस्व अभिलेख दर्ज करवार संशोधन करवा पाने का अधिकारी है। आज से कुछ रोज पुर्व प्राथी, अप्रार्थी से मिला और कहा की मुरब्बा न0 45 के किला न0 24 पर मेरा कब्जा है। अतः आप उक्त रकबा में से मेरा 0.253 हैक्टर नहरी दुरुस्त करवा देवें। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से स्पष्ट इनकार हो गये। और कहा कि हम उक्त रकबा अन्य दुसरे व्यक्ति को बेचान कर देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में हो गये तो प्रार्थी को न पुरा होने वाले नुकसान हो गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं राईट एवं टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जायेगी की अप्रार्थीगण अपने नाम की चक 2 ओ की जमाबंदी संवंत 2068 ता 71 के खाता संख्या 18/16 के मु0 न0 45 के किला न0 24 की 0.253 है0, मु0 न0 48 के किला न0 11-12 प्रत्येक 0.253 है0 एवं किला नं0 13/1 की 0.127 है0, किला न0 16 ता 25 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 3.163 है0 नहरी रकबा को किसी व्यक्ति को बैय करने से व प्रार्थी के मु0 न0 45 के किला नं0 24 के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

04/01/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:19 IST
Reason: SelfAttested

सरवण सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 21/2016

कॉलम में भी 4.238 हैक्टर आराजी दर्ज है। लेकिन प्रत्येक काश्तकार की अलग दर्ज आराजी का योग करने पर यह 4.428 हैक्टर प्राप्त होती है। जो कि प्रथम दृष्टया सहवन से लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। अर्थात कुल 0.190 हैक्टर क्षेत्रफल वृद्धि कर दी गई है। जबकि प्रत्येक काश्तकार का बीघा- बिस्वा या हिस्सा को हैक्टर में परिवर्तित करने पर गुरदेव सिंह के 125 हिस्सा का 1.581 हैक्टर, जलन्धर सिंह के 125 हिस्सा का 1.581 हैक्टर तथा सरवण सिंह के 85 हिस्सा का 1.076 हैक्टर, प्रथम दृष्टया दर्ज किया जाना था। फर्द की प्रतिलिपि के नामान्तरण संख्या 373 दिनांक 21.08.2006 का अवलोकन करने पर खातेदार काश्तकार सरवण सिंह द्वारा जीत सिंह वल्द निरंजन सिह तथा मुखत्यार सिंह वल्द रतन सिंह को मुताबिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी प्रकरण संख्या 28/80 निर्णय दिनांक 31.08.1981 तथा बैयनामा 17.06.1969 द्वारा जीत सिंह को मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 24 रकबा 0.253 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 25 रकवा 0.143 हैक्टर नहरी एंव मुरब्बा नम्बर 74/20 रकबा 0.015 हैक्टर गैरमुमकिन खाला योग 0.411 हैक्टर एवं मुखत्यार सिंह वल्द रतन सिंह को मुरब्बा नम्बर 47 का किला नम्बर 22 रकवा 0.0630 हैक्टर एवं किला नम्बर 23 रकबा 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 25 रकबा 0.085 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 74/20 रकबा 0.010 गैरमुमकिन खाला योग 0.411 हैक्टर अर्थात दोनो का कुल 0.882 हैक्टर का नामान्तरण स्वीकृत हुआ है। तथा खाते का विभाजन हुआ है। सलग्न दस्तावेज के अध्ययन के अनुसार खातेदार सरवण सिंह द्वारा अपने हिस्से की कुल 1.076 आराजी में से 0.822 हैक्टर आराजी को बेचान किया गया है। तथा सरवण सिंह के पास अब 0.253 हैक्टर आराजी शेष रहता है।

जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 का अवलोकन करने पर खाता संख्या 16/16 में आराजी का कुल योग क्षेत्रफल के कॉलम की प्रविष्टि का योग करने पर 3.416 हैक्टर प्राप्त है। जबकि खातेदार के रूप में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह के हिस्सा 1.644 हैक्टर, तथा जलन्धर सिंह के हिस्सा 1.645 हैक्टर का योग करने पर 3.289 हैक्टर प्राप्त होता है, जो कि क्षेत्रफल वाले कॉलम की प्रविष्टि का योग 3.416 से 0.126 हैक्टर कम है। अर्थात जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 में भी 0.126 हैक्टर का अन्तर प्राप्त होता है, जो प्रथम दृष्टया यह इंगित करता है कि जमाबंदियों को तैयार करने के दौरान सहवन से सरवण सिंह का 0.253 हैक्टर हिस्सा छुट गया प्रतीत होता है। साथ ही खातेदार काश्तकारों का हिस्सा जो 1.581-1.581 हैक्टर (गुरदेव सिंह एंव जलन्धर सिंह) का होना चाहिए था, के स्थान पर 1.644/1.645 हैक्टर दर्ज किया गया। खातेदार सरवण सिंह द्वारा अपने हिस्से की आराजी को जीत सिंह को 0.411 हैक्टर तथा मुखत्यार सिंह को 0.411 हैक्टर कुल 0.822 हैक्टर बेचान के बाद भी 0.253 हैक्टर आराजी शेष रहनी चाहिए थी। तथा आने वाले जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2064 ता 67 एवं 2068 ता 71 में इसका नाम अंकित होना चाहिए था। जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 में भी क्षेत्रफल का अंतर 0.126 हैक्टर प्राप्त हो रहा है। जो प्रथम दृष्टया यह इंगित करता है कि किसी खातेदार/काश्तकार का नाम जमाबन्दी चौसाला बनाते समय छूट गया है।

अतः इस प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के आधार पर प्रकरण को निर्णीत करना हम आवश्यक एवं विधिसंगत समझते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

चूंकि उपर्युक्त विवेचन, शपथ पत्रों एंव दस्तावेजों यथा जमाबदियों नामान्तरण की प्रतिलिपियों आदि के प्रथम दृष्टया अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि सम्वत 2056 खाता संख्या

04/01/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:19 IST
Reason: SelfAttested

18/16 में तीनों खातेदारों की कुल 335 हिस्सा में गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह की 125 हिस्सा, जलन्धर सिंह की 125 हिस्सा एंव सरवण सिंह की 85 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2060 चक 2 ओ खाता संख्या 16/18 जो कि हैक्टर के आधार पर तैयार की गई है उसमें क्षेत्रफल 4.428 हैक्टर हिस्सानुसार दर्शाया गया है जबकि क्षेत्रफल के कॉलम में योग 4.238 हैक्टर दर्ज है। इस प्रकार बीघा-बिस्वा से हैक्टर में जमाबन्दी तैयार करते समय काश्तकार के नाम की प्रविष्टि वाले कॉलम में 0.190 हैक्टर आराजी की वृद्धि कर दी गई जबकि क्षेत्रफल की प्रविष्टि वाले कॉलम में योग 4.238 हैक्टर किया गया है। जो कि 335 हिस्सा को हैक्टर में बदलने पर प्राप्त होता है। इसके साथ ही सरवण सिंह खातेदार द्वारा अपनी आराजी में से जीत सिंह को (0.411 हैक्टर) एव मुखत्यार सिंह को (0.411 हैक्टर) भूमि बेचान के पश्चात 0.253 हैक्टर शेष रहती है। उसका अंकन आगामी जमाबदियों (2064-67-68-71)में नहीं है, एंव जीत सिंह एंव मुखत्यार सिंह द्वारा अपना खाता विभाजन प्रकरण सख्या 28/80 निर्णय दिनांक 31.08.1981 से करवा दिया गया है। बीघा-बिस्वा से हैक्टर में जमाबदियो को तैयार करते समय गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह का 125 हिस्सा = 1.581 हैक्टर एवं जलन्धर सिंह का 125 हिस्सा=1.581 हैक्टर होना चाहिए था जिसे 1.644 हैक्टर एवं 1.645 हैक्टर दर्ज कर दिया गया, साथ ही जमाबंदी सम्वत 2064 ता 67 एवं 2068 ता 71 के अवलोकन मात्र से ही यह प्रतीत होता है कि 0.126 हैक्टर आराजी का अंतर प्रतीत होता है। उक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह प्रथम दृष्टया भली भांति साबित होता है कि उक्त खाता में प्रार्थी का 0.253 हैक्टर हिस्सा बनना प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भली भांति प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलनः-</u> अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एंव आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला भली-भांति प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है, साथ ही चूंकि समस्त विवेचन में यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/वादी 0.253 हैक्टर हिस्सा बनता है जो कि जमाबंदियों चौसाला को बीघा-बिस्वा से हैक्टर में बनाते समय सहवन से रह गया प्रतीत होता है। साथ ही दौराने बहस अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया कि इसी आराजी का एक वाद पूर्व में प्रकरण संख्या 56/2015 हाजा न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, उसके संबध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि उक्त निर्णय प्रकरण संख्या 56/2015 दावा अन्तर्गत 88 आरटीए , 136एलआरएक्ट का अवलोकन पर किया गया। चूंकि प्रकरण संख्या 56/2015 में खातेदारों गुरदेव सिंह उर्फ भोला सिंह एंव जलन्धर सिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस कारण दावा हाजा न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। लेकिन हस्तगत प्रकरण में खातेदारों गुरदेव सिह उर्फ भोला सिंह एंव जलन्धर सिंह को बतौर पक्षकार संयोजित किया हुआ है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में और <u>अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण</u> के खिलाफ साबित होता है।

3. <u>अपूरणीय क्षतिः-</u> उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला तथा ... संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। चूंकि प्रार्थी/वादी ... बिस्वा से हैक्टर में जमाबंदी चौसाला को तैयार करते समय हिस्सा का गलत ... अंकन होने से नाम छुट गया है के संबध धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट ... वाद हाजा न्यायालय में जैरकार है यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो <u>अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण</u> द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादी/प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

04/01/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:19 IST
Reason: SelfAttested

सरवण सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 21/2016

अतः मूल प्रकरण/वाद पर गुणावगुण टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी/प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 18/16 जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 24 की 0.253 हैक्टर नहरी, मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11-12 प्रत्येक 0.253 हैक्टर एवं किला नम्बर 13/1 की 0.127 हैक्टर, किला नम्बर 16 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर नहरी आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

04/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 04/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

04/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.02.23 12:27:19 IST
Reason: SelfAttested